# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

## भारत सरकार

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/04/2023 को संपन्न 461वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**:

———00———

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं तथा कन्सट्रक्शन परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

**1. मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री विनोद शर्मा), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2313)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 419124/ 2023, दिनांक 20/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/02/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/03/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 171 एवं 172/1, कुल क्षेत्रफल–1.092 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,125.45 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 171 एवं 172/1 कुल क्षेत्रफल – 1.092 हेक्टेयर, क्षमता–13,384.15 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध थी।

   ii. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 01/03/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने बाबत् एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/बी 3–3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 13/03/2023 द्वारा

जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन में) |
|---|---|
| 2017–18 | 11,960 |
| 2018–19 | 13,380 |
| 2019–20 | 1,350 |
| 2020–21 | निरंक |
| 2021–22 | निरंक |
| 2022–23 (दिसंबर 2022) | निरंक |

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुड़गहन का दिनांक 27/03/2007 को 10 वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत का वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर के ज्ञापन क्र.490/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्रं.08/2021(2) नवा रायपुर, दिनांक 04/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/बी 3–3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 13/03/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 9.966 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/बी 3–3/न. क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 13/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल एवं स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री विनोद शर्मा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/02/2010 से 01/02/2020 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/02/2020 से 01/02/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 171 शासकीय भूमि है तथा खसरा क्रमांक 172/1 श्री रामसहाय वर्मा के नाम पर है। उत्खनन हेतु प्रस्तुत सहमति पत्र 10 वर्षों हेतु वैध थी। समिति का मत है उत्खनन हेतु भू–स्वामी का वैध सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बुड़गहन 960 मीटर, स्कूल ग्राम–बुड़गहन 880 मीटर एवं अस्पताल बिटकुली 1.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.3 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 19.2 कि.मी., नाला 3.85 कि.मी. एवं तालाब 1.85 कि.मी. दूर है। लगभग 45 मीटर की दूरी पर बांध अथवा जल परिबद्ध करने वाली संरचना अवस्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,56,618 टन, माईनेबल रिजर्व 1,75,678 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,66,894 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,901.84 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। पथरीला क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 14,868.89 | षष्टम | 14,864.22 |
| द्वितीय | 14,867.06 | सप्तम | 14,862.29 |
| तृतीय | 14,866.43 | अष्टम | 14,862.00 |
| चतुर्थ | 14,865.82 | नवम | 14,861.83 |
| पंचम | 14,865.92 | दशम | 14,860.40 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/बी 3–3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 13/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 9.966 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बुड़गहन) का रकबा 1.092 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बुड़गहन) को मिलाकर कुल रकबा 11.058 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iv. Project proponent shall submit the valid gram panchayat NOC for mining activity.

   v. Project proponent shall submit the valid consent letter from landowner for mining activity.

   vi. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2023 to till date from the mining department.

   vii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

**2. मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–1), जी.ई. रोड, टाटीबंध, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2335)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/421843/ 2023, दिनांक 13/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा जी.ई. रोड, टाटीबंध, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 55/3, कुल क्षेत्रफल–1.778 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (बाईंडिंग वायर/एच.बी. वायर) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 3 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**3. मेसर्स जेके इंटरनेशनल ट्रेक प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिरगांव, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2336)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/421908/ 2023, दिनांक 13/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बिरगांव, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 181/1(क), 181/1(ख) एवं 181/1(छ), कुल क्षेत्रफल–3.237 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एंगल, चैनल, सी.टी.डी. बार, ज्वाईस्ट, एच बिम, रेल एण्ड स्क्वायर आदि) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 3.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एंगल, चैनल, सी.टी.डी. बार, ज्वाईस्ट, एच बिम, रेल एण्ड स्क्वायर आदि) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/02/2018 को जारी की गई। जो कि दिनांक 30/04/2023 तक वैध थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार

जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग की स्थापना के संबंध में नगर पालिका परिषद बीरगांव, जिला–रायपुर का दिनांक 12/12/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - समीपस्थ आबादी बिरगांव 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 7.34 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भू–स्वामित्व** – पूर्व में भूमि मेसर्स मेट्रोपोलिटन कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर थी। वर्तमान में भूमि मेसर्स जेके इंटरनेशनल ट्रेक प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। उक्त बाबत् विक्रय विलेख की प्रति एवं कार्यालय कलेक्टर परिवर्तित शाखा, रायपुर द्वारा जारी सूचना पत्र प्रारूप अ की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area% |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Mill Area | 6,588 | 20.35 |
| 2. | Re-Heating Furnace Area | 1,572 | 4.86 |
| 3. | Raw Material Yard | 1,722 | 5.33 |
| 4. | Finished Goods Area | 1,944 | 6.00 |
| 5. | Parking Area | 684 | 2.11 |
| 6. | Office | 190 | 0.58 |
| 7. | Road Area | 7,332 | 22.65 |
| 8. | Green Belt Area | 10,712 | 33.08 |
| 9. | Open Area | 1,633.98 | 5.04 |
| | **Total Area** | **32,377.98** | **100** |

6. **रॉ–मटेरियल** –

| S.No | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Billets | 31,500 | Open Market | By road |

7. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

| S. No. | Particular | Proposed |
|---|---|---|
| 1. | Unit | Regularization of Re-heating Rolling Mill |
| 2. | Products | Re-rolled products – 30,000 TPA |

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उच्च दक्षता का स्क्रबर लगाया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर

का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल – 800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग – 700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाएगा। साथ ही यूज्ड ऑयल 1 किलोलीटर प्रतिवर्ष जनित होगा जिसको अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 30 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। अब नियमित संचालन हेतु फ्रेश वॉटर कुल 18 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 28 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 16/01/2021 से दिनांक 15/01/2024 तक की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। समिति का मत है कि डी.जी. की स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.068 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में कुल 2,670 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग परिसर के भीतर 150 नग पौधे रोपित किये गए है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 05/04/2023 को सूचना दी गई थी।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

viii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by

Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**4. मेसर्स अछोली फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्री हरिश साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2337)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 422055 / 2023, दिनांक 15 / 03 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 110 / 2, 110 / 4, 112 / 3, 112 / 2, 122, 117, 121, 118, 120, 119, 115, 116 एवं 123, कुल क्षेत्रफल–1.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,250.4 टन (3,021 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21 / 04 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28 / 04 / 2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरीश साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 20 / 10 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लॉन प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 702 / खनि 02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क्र.02 / 2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 31 / 01 / 2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 239 / क / खलि / न.क्र. 702 / 2021 महासमुंद,

दिनांक 23/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 28.8 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 239/क/खलि/न.क्र. 702/2021 महासमुंद, दिनांक 23/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री हरिश साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1065/क/उ.प./ख.लि./न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 110/2, 110/4, 112/3, 112/2 श्री वैभव, खसरा क्रमांक 121, 118 श्री नरेन्द्र सिन्हा, खसरा क्रमांक 115, 116, 119, 120, 123 श्री नरेन्द्र सिन्हा तथा श्री रमेश साहू एवं खसरा क्रमांक 117, 122 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1088 महासमुंद, दिनांक 24/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1.15 कि.मी., स्कूल ग्राम–अछोली 1.85 कि.मी. एवं अस्पताल तुमगांव 9.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.9 कि.मी. दूर है। तालाब 2.15 मीटर, नहर 680 मीटर, महानदी 500 मीटर एवं कोडार नाला 190 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,81,440 टन, माईनेबल रिजर्व 88,848 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 84,405 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,730 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,935 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,805 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। स्टोन कटर का

उपयोग किया जाएगा। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 7,227.6 |
| द्वितीय | 7,204.8 |
| तृतीय | 7,250.4 |
| चतुर्थ | 7,204.8 |
| पंचम | 7,113.6 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 939 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 से दिनांक 31/05/2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 239/क/खलि/न.क्र. 702/2022 महासमुंद, दिनांक 23/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 28.8 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 1.26 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 30.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री राजेश कुमार गौतम), ग्राम–खपरी, कुम्हारी, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2338)**

**ऑनलाईन आवेदन** – एसआईए /सीजी /आईएनडी3/ 422194/2023, दिनांक 15/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–खपरी, कुम्हारी, जिला–दुर्ग के कुल क्षेत्रफल – 12.14 हेक्टेयर (1,21,406 वर्गमीटर) में साल्वेंट एण्ड ईस्टर क्षमता – 50 टन प्रतिदिन के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 14.10 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 :**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स शुभलक्ष्मी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2340)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 422409/ 2023, दिनांक 16/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811, कुल क्षेत्रफल – 0.32 एकड़ है। पीएससी सीमेंट क्षमता–1,000 टन प्रतिदिन है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 :**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स बगदर लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री तुलसी राम बियार), ग्राम–बगदर, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2341)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 420776 / 2023, दिनांक 17 / 03 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बगदर, तहसील–करतला, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक–2 / 2, 2 / 3, 2 / 4 एवं 2 / 5, कुल क्षेत्रफल–1.628 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,996.66 टन (6,798.67 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21 / 04 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28 / 04 / 2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तुलसी राम बियार, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 2 / 2, 2 / 3, 2 / 4 एवं 2 / 5, कुल क्षेत्रफल–1.628 हेक्टेयर, क्षमता–16,996.66 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा दिनांक 17 / 07 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 26 / 11 / 2020 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 26 / 11 / 2021 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 27 / 04 / 2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदन प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 350 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 708/ख. लि.1/न.क्र./2022 कोरबा, दिनांक 06/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन |
|---|---|
| 2016–17 | 2,050 |
| 2017–18 | 6,960 |
| 2018–19 | 4,575 |
| 2019–20 | 16,900 |
| 2020–21 | 10,000 |

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2021 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (उत्पादन इकाई (Unit) सहित) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की उत्पादन की जानकारी में किये गये उत्पादन की इकाई (Unit) का उल्लेख नहीं है उक्त के संबंध में जानकारी (उत्पादन इकाई (Unit) सहित) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत देवलापाठ का दिनांक 13/06/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी स्कीम, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5173–74/खलि–5/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 31/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 222/ख.लि.1/न.क्र./2022 कोरबा, दिनांक 30/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 223/ख.लि./न.क्र. /रेत/2023 कोरबा, दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री तुलसी राम बियार के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2010 से 26/11/2020 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2020 से 26/11/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 2/2 श्री अमर सिंह, श्रीमती जमुना बाई, श्रीमती तिहारिन बाई, खसरा क्रमांक 2/3 श्री राजू, खसरा क्रमांक 2/4 श्री मुकेश कुमार एवं खसरा क्रमांक 2/5 श्री कन्हाई सिंह, श्री प्रेम सिंह व श्रीमती धन कुंवर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 2/3, 2/4 के

भू–स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 2/2 के भू–स्वामी श्री अमर सिंह, श्रीमती जमुना बाई, श्रीमती तिहारिन बाई तथा भूमि खसरा क्रमांक 2/5 के भू–स्वामी श्री प्रेम सिंह, श्रीमती धन कुंवर का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बगदर 800 मीटर, स्कूल ग्राम–बगदर 1.15 कि.मी. एवं अस्पताल चांपा 8.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.4 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 80 मीटर, कच्ची रोड 90 मीटर, तालाब 820 मीटर, नाला 510 मीटर एवं नहर 2.1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,48,580 टन, माईनेबल रिजर्व 70,868 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 67,325 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,653 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,802.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,983 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण एवं शेष 820 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (भू–स्वामी फिरतु, खसरा क्रमांक 9/8, रकबा 3,890 वर्गमीटर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 12,973.44 |
| द्वितीय | 13,062.50 |
| तृतीय | 14,006.56 |
| चतुर्थ | 15,154.88 |
| पंचम | 12,112.50 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल एवं ग्राम पंचायत के द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी एवं ग्राम पंचायत का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,125 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में 350 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 775 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 775 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 7,750 रूपये, फेंसिंग एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,95,000 रूपये, खाद के लिए राशि 56,250 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 3,09,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,25,000 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,653 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुल 2,505 वर्गमीटर क्षेत्र 4.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी स्कीम में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से हसदेव नदी 80 मीटर की दूरी पर होने के कारण नदी की तरफ कुल 1,004 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी स्कीम में किया गया है। समिति का मत है कि गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 11.13 | 2% | 0.2226 | Following activities at Govt. Primary School **Village-Bagdar** | |
| | | | Installation of UV water filter and its AMC | 0.25 |
| | | | Distribution of Environment related Books | 0.10 |
| | | | **Total** | **0.35** |

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम्प्लायंस रिपोर्ट के लिए क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन जमा किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कार्यालयों में से किसी भी एक कार्यालय से प्रमाणित कम्प्लायंस रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

21. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर ऊँचाई तक भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. दिनांक 01/04/2021 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (उत्पादन इकाई (Unit) सहित) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की उत्पादन की जानकारी में किये गये उत्पादन की इकाई (Unit) का उल्लेख नहीं है उक्त के संबंध में जानकारी (उत्पादन इकाई (Unit) सहित) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

4. उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 2/2 के भू–स्वामी श्री अमर सिंह, श्रीमती जमुना बाई, श्रीमती तिहारिन बाई तथा भूमि खसरा क्रमांक 2/5 के भू–स्वामी श्री प्रेम सिंह, श्रीमती धन कुंवर का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जॉच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**8. मेसर्स धनसुली लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री वासुदेव प्रितवानी), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2342)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 422665/ 2023, दिनांक 18/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक–915 एवं 916/1, कुल क्षेत्रफल–3.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–79,845 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 :**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वासुदेव प्रितवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 05/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 1578/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 24/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 242/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.357 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 242/ख.लि./2023 रायपुर,

दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री वासुदेव प्रितवानी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 91/ख.लि./तीन–6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 01/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 5653/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"छत्तीगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है"** का उल्लेख है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 915 श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी एवं खसरा क्रमांक 916/1 श्री अट्टुमल प्रितवानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/2159 रायपुर, दिनांक 20/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (मेसर्स श्री मां महासर लाईम स्टोन, प्रो.– श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673, कुल रकबा 3.19 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमाक/व.त.अ./रा/3169 रायपुर, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र मोहरेंगा नेचर सफारी की सीमा से 18 कि.मी., बारनवापारा अभ्यारण्य 66 कि.मी. एवं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 282 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 700 मीटर, स्कूल ग्राम–धनसुली 850 मीटर एवं अस्पताल रायपुर 3.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। खारून नदी 18.6 कि.मी., मौसमी नाला 2.1 कि.मी., नहर 1.1 कि.मी. एवं तालाब 840 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,90,250 टन, माईनेबल रिजर्व 7,00,563 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,65,535 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,931 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,840.25 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,840.25 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,158 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 78,375 |
| द्वितीय | 79,845 |
| तृतीय | 78,528 |
| चतुर्थ | 78,824 |
| पंचम | 78,375 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,179 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6 (ख) तथा प्रारूप नौ की कंडिका अठारह (ख) के तहत् खनिज उपलब्धता के संदर्भ में निरीक्षक, जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रतिवेदन अनुसार खदान क्षेत्र का उत्तर दिशा का लगभग 0.65 हेक्टेयर क्षेत्र लगभग 15 मीटर गहराई तक एवं दक्षिण दिशा में लगभग 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र लगभग 7 मीटर गहराई तक उत्खनित है एवं 100 मीटर के दायरे में पश्चिम दिशा में पूर्व उत्खनित क्षेत्र लगभग 20 मीटर तक खनिज की उपलब्धता दृष्टिगोचर है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स महामाया मिनरल्स (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69981/2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान

से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

**a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

**b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 242/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.357 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 3.18 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 183.537 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**9. मेसर्स अविनाश चितवन (ए.आई.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेव्हलपर्स), ग्राम–कचना, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2343)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/423055/ 2023, दिनांक 22/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कचना, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 438(पार्ट), 441/2(पार्ट), 447/6, 454/2, 455/1(पार्ट), 455/2(पार्ट), 458/1, 458/2, (430/1 से 438/2 तक का संविलियन खसरा क्रमांक 15032), 539/1, 539/2, 540, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 546/2, 546/5, 546/11, (539/1 से 546/11 तक संविलियन खसरा क्रमांक 15027), कुल क्षेत्रफल–1.3274 हेक्टेयर, कुल बिल्टअप एरिया 30,119.02 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 89.58 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एवं**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु आवेदित फॉर्म में कुल बिल्टअप एरिया 30,119.02 वर्गमीटर के स्थान पर त्रुटिवश 26,549.75 वर्गमीटर अंकित हो गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** प्रस्तावित बिल्टअप एरिया की पुष्टि एवं स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**10. मेसर्स शिवाय इन्फ्रा (पार्टनर– श्री राकेश कुकरेजा), ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2344)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/423097/ 2023, दिनांक 23/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 15002 (108/3, 108/7, 109/1, 109/10, 109/16, 109/27, 109/29, 109/30, 109/46, 109/53), कुल क्षेत्रफल–1.27 हेक्टेयर, कुल बिल्टअप एरिया 26,599.6 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 52 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राकेश कुकरेजा, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जयाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   i. निकटतम आबादी भावना नगर 340 मीटर, रायपुर रेलवे स्टेशन 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 9.48 कि.मी., अस्पताल 4.18 कि.मी. एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 1.38 कि.मी. दूर है। तेलीबांधा तालाब 2.31 कि.मी. एवं खारून नदी 9.53 कि.मी. दूर है।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
2. सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9769/नग्रानि/धारा–29/CGAWAAS/2021/00046/2021 रायपुर, दिनांक 22/07/2021 अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की गई है।
3. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 16/12/2021 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के ज्ञापन दिनांक 01/01/2022 द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी की गई है, जिसकी वैधता 04/10/2026 तक है।
5. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 15,002 मेसर्स शिवाय इन्फ्रा (पार्टनर–श्री राकेश कुकरेजा), श्रीमती राखी कुकरेजा, श्रीमती ऊषा शर्मा एवं मेसर्स वी3 बिल्डकॉन प्रा.लि. (डॉयरेक्टर– श्री विकास पारख) के नाम पर है।
6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S. No. | Particulars | Area ($m^2$) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Proposed Ground Coverage | 2,513 | 19.78 |
| 2. | Green Area | 4,191 | 33.00 |
| 3. | Road / Paved Area | 1,450 | 11.42 |
| 4. | Open Area | 4,546 | 35.80 |
| **Total Area** | | **12,700** | **100** |

7. **बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल बिल्टअप एरिया 26,599.6 वर्गमीटर है। समिति का मत है कि तल अनुसार (Floor wise) बिल्टअप एरिया की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 555 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण कार्य किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – निर्माण के दौरान उत्खनित मिट्टी को ढके हुए क्षेत्र में रखा जाएगा एवं उस मिट्टी का उपयोग लेण्ड स्केपिंग, लेवलिंग एवं बैक फिलिंग में उपयोग किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों (ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन टाईल्स, लकड़ी के टुकड़े, सीमेंट बैगस् आदि) को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा तथा शेष रिजेक्ट मटेरियल को आर.एम.सी. द्वारा बताये गये स्थल पर अपवहन किया जाएगा। कार्य स्थल पर श्रमिकों द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों को दैनिक आधार पर स्थानीय एजेंसियों द्वारा अपवहन किया जाएगा।

    परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु थ्री बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 425.9 किलोग्राम प्रतिदिन (रेसीडेंट्स द्वारा 237 किलोग्राम प्रतिदिन तथा कमर्शियल, स्टाफ एवं विजिटर्स द्वारा 188.9 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

    - **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 140.98 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 106.23 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग हेतु 34.75 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जाएगी। परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज हेतु जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बाबत् सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

    - **जल प्रदूषण नियंत्रण** – उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 119.73 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 125 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज होल्डिंग टैंक एवं प्रेसर सेण्ड फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

    - **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,985.71 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज पिट (व्यास 1.9 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 1500 किलोवॉट की आवश्यकता होगी। विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 नग (3x500 एवं 1x125) के.व्ही.ए. के डी.जी. सेट स्थापित किये जाएगें। समिति का मत है कि डी.जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु 4,191 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। परिसर के चारों ओर 1,040 नग (मध्यम ऊंचाई वाले) एवं आंतरिक मार्गों के किनारे 1,040 नग (कम ऊंचाई वाले) वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार परिसर के भीतर कुल 2,080 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 1.5 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया। जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार 100 करोड़ तक के ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट हेतु 2 प्रतिशत राशि सी.ई.आर. (**Corporate Environment Responsibility**) हेतु व्यय किया जाना है। समिति का मत है कि कुल प्रस्तावित लागत के 2 प्रतिशत राशि अनुसार परियोजना के आस–पास सहमति प्राप्त शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) में ईको पार्क निर्माण के तहत् विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र /सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. तल अनुसार (Floor wise) बिल्टअप एरिया की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बाबत् सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. डी.जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. कुल प्रस्तावित लागत के 2 प्रतिशत राशि अनुसार परियोजना के आस–पास सहमति प्राप्त शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) में ईको पार्क निर्माण के तहत् विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र /सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवदेन/वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**11. मेसर्स श्री माँ महासर लाईम स्टोन (अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन माईन, प्रो.– श्रीमती कृष्णा अग्रवाल), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2345)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 422884/ 2023, दिनांक 23/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा 671, 672 एवं 673, कुल क्षेत्रफल–3.19 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,106.25 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा उत्खनन योजना को संशोधित कराकर नवीन ऑनलाईन आवेदन किये जाने के लिए वर्तमान आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**12. मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–1), जी.ई. रोड, टाटीबंध, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2346)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/423228/ 2023, दिनांक 23/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा जी.ई. रोड, टाटीबंध, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 55/3(पार्ट), 55/5, 55/8 एवं 55/9, कुल क्षेत्रफल–2.72 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष एवं बाईडिंग वायर/एच.बी. वायर क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 6 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष एवं बाईडिंग वायर/एच.बी. वायर क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 11/07/2018 को जारी की गई। जो कि दिनांक 30/06/2023 तक वैध है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत अटारी का दिनांक 01/06/2000 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी टाटीबंध 550 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 7 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 20. 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 300 मीटर एवं राज्यमार्ग 700 मीटर दूर है। खारून नदी 1.7 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भू–स्वामित्व** – भू–**स्वामित्व** संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wire Drawing Area | 3,634.79 | 13.36 |
| 2. | Rolling Mill Area | 1,620.00 | 5.95 |
| 3. | Raw Material Yard | 1,821.12 | 6.70 |
| 4. | Finiesd Goods Area | 1,593.24 | 5.85 |
| 5. | Road Area | 5,628.00 | 20.70 |
| 6. | Labour Quarter | 246.05 | 0.90 |
| 7. | Green Belt Area | 8,976.20 | 33.00 |
| 8. | Open Area | 3,680.60 | 13.54 |
| | **Total Area** | **27,200** | **100** |

6. **रॉ–मटेरियल –**

| S.No | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MS Billets/Ingots | 31,500 | Open Market | By Road |
| 2. | Wire Rod | 31,500 | Open Market | By Road |

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

| S. No. | Particular | Proposed |
|---|---|---|
| 1. | Unit | Regularization of Re-heating Rolling Mill |
| 2. | Products | Re-rolled products – 30,000 TPA |
| | | Binding Wire/ H.B. Wire – 30,000 TPA |

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उच्च दक्षता का स्क्रबर लगाया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत चिमनी से पार्टिक्यूलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल – 1,600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग – 1,400 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाएगा। साथ ही यूज्ड ऑयल 0.1 किलोलीटर प्रतिवर्ष जनित होगा जिसका उपयोग मशीनों में लुब्रीकेन्ट के लिए किया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 14 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 4.5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 8.9 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 17/12/2021 को अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0..9 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में कुल 2,250 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग परिसर के भीतर 150 नग पौधे रोपित किये गए है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 05/04/2023 को सूचना दी गई थी।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि ई.आई.ए. तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 05/04/2023 को सूचना दी गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार " The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

viii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(श्री डी. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़